

पत्रांक-श्रम क० सं०-53/2025 (अंश-"क")-691

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के ज्ञापक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/आधार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःसक्तता/ असाध्य रोग का प्रमाण, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० ओमोल राय, 56, श्रीपति राय, अनु० जाति	कौशालिया देवी, (पत्नी)	195 09.02.2026	ग्रा०-मड़वा टोली, पो०-चकला, थाना+प्र०-किशनगंज, जिला-किशनगंज, मो०-7250784473	5416230 936	CBI, CBIN028 0067	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० मोहरामो देवी, 64, तेजू लाल, अनु० जाति	तेजू लाल, (पति)	204 09.02.2026	ग्रा०-डाबर, पो०+थाना+प्र०-बहादुरगंज, जिला-किशनगंज, मो०-6207132387	4019324 970	CBI, CBIN028 2371	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० सुफल मरंडी, 43, मंगल मरंडी, अनु० जनजाति वर्ग	मारामाई सोरेन, (पत्नी)	238 18.02.2026	ग्रा०-लोहागाड़ा, पो०+थाना-कोदोबाड़ी, प्र०-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज, मो०-9102208932	3637517 8173	SBI, SBIN0008 559	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० राम चन्द्र ऋषिदेव, 44, मदइ ऋषिदेव, अनु० जाति	लालो देवी, (पत्नी)	331 12.03.2026	ग्रा०-बराही, पो०+थाना+प्र०-किशनगंज, जिला-किशनगंज, मो०-7679432332	4934001 7001578 32	PNB, PUNB049 3400	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल राशि:-रु० 2,00,000/-
(दो लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-53/2025 (अंश-"क")-691

पटना, दिनांक :- ०९/०६/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत

राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, किशनगंज/उप श्रमायुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026
Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 11:14:51

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 08-06-2026 09:49:31
कार्यकारी निदेशक